

सुगंध-१

F

कक्षा - ९

द्वितीय भाषा-हिंदी

IX Class Hindi Second Language




जागो
ग्राहक
जागो



IX Class Hindi Second Language


not to be reproduced



आंध्र प्रदेश सरकार
द्वारा प्रकाशित, हैदराबाद



बचाइए
हमें



आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित, हैदराबाद

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क वितरण



शिक्षा का सूरज है निकला,

हो रहा है अब उजाला,
आँखें खोलो।

हमको भी है लिखना-पढ़ना,
हमको भी है आगे बढ़ना,
तुम भी बोलो।

जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे
अँधेरा है,

जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने
घेरा है,

इनकी ये मजबूरियाँ शिक्षा मिटा देगी,
उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी,

उम्र चाहे जो भी हो,
मैं कहूँ और तुम कहो,
कभी भी, कहीं भी
हमको पढ़ना है,
आगे बढ़ना है।



साक्षर भारत

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य—भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे,
- (घ) देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे,
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों,
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे,
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं; रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे,
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,
- (ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके।